

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर.

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- इसरदा

प्रकरण संख्या:- उ२१/२५

दिनांक:- ३/१०/२५

उनवान

श्री राजेश कुमार पुत्र
कूलचंद प्रीना

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का इसरदा A भू अ. नि. डिवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत, ग्राम इसरदा प० ह० इसरदा A की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 1088, 1097 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>नाथ केशुद</u>	<u>प्रकाश पुत्र</u> <u>कूलचंद प्रीना</u>	<u>राजेश कुमार पुत्र</u> <u>कूलचंद प्रीना</u> (शेड <u>कूलचंद</u> <u>कूलचंद प्रीना</u>)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र कूलचंद प्रीना ।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
(स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
(स० मा०)

